# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/


क्रमांक–58 / रेरा / 2021 / 1237 रायपुर, दिनाँक 30 / 06 / 2021

/ / परिपत्र / /

विषय :– वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019–2020 प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–25 / रेरा / 2019 / 1987, रायपुर, दिनाँक 22 / 08 / 2019, परिपत्र क्रमांक–48 / रेरा / 2020 / 1010, रायपुर, दिनाँक 21 / 09 / 2020 एवं परिपत्र क्रमांक–51 / रेरा / 2020 / 1386, रायपुर, दिनाँक 28 / 12 / 2020 ।

––00––

प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र क्रमांक–25 के माध्यम से छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नियमित विकास कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होने की वजह से प्राधिकरण ने परिपत्र क्रमांक–48 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–2020 हेतु वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करते हुये दिनाँक 31.12.2020 तक की अवधि निर्धारित की थी। इसके पश्चात् परिपत्र क्रमांक–51 के माध्यम से वर्ष 2019–2020 हेतु बिना विलंब शुल्क के वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में 28.02.2021 तक वृद्धि की गई थी। अर्थात् दिनाँक 01.03.2021 से विलंब शुल्क की राशि यथावत देय थी। परन्तु कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु अप्रैल व मई, 2021 के दरमियान छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण अन्य कार्यों के साथ–साथ रियल एस्टेट संबंधी समस्त कार्यों की भी निरंतरता बाधित रही है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विलंब शुल्क के संबंध में प्राधिकरण द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 अंतर्गत निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2019–2020 प्रस्तुत करने में हुये विलंब हेतु लगाये गये विलंब शुल्क में दिनाँक 01.04.2021 से दिनाँक 31.05.2021 तक छूट प्रदान की जाती है। अर्थात् उक्त अवधि का, विलंब शुल्क की गणना हेतु, उपयोग नहीं किया जावेगा।
2. उपरोक्त उल्लेखित समयावधि पश्चात् अर्थात् दिनाँक 01.06.2021 से विलंब शुल्क की गणना की जावेगी। इसी प्रकार दिनाँक 01.03.2021 से दिनाँक 31.03.2021 तक की अवधि हेतु भी नियमानुसार विलंब शुल्क की गणना की जावेगी।

**नोट :–** (A) वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट केवल प्राधिकरण की वेबसाईट **https://rera.cgstate.gov.in** पर अपलोड की जानी है। यदि किसी प्रमोटर द्वारा रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो वह स्वीकार्य नहीं होगी।

**(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)**

30/8/2021

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.